

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
फरूखाबाद।  
राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : २४ अगस्त , 2014

विषय -वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फरूखाबाद में वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-2035/1-10-2012-12(14)/13, दिनांक 29.08.2013 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत किंवदन्ति से अनुमोदित सिंचाई खण्ड फरूखाबाद की कुल 19 कार्यों की मरम्मत हेतु ₹ 4,26,72,500/- की धनराशि प्रथम किंवदन्ति के रूप में स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-307/सी0आर0ए0/डै0आ0-रिपोर्ट/2014, दिनांक 15.07.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई खण्ड फरूखाबाद की कुल 19 कार्यों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि ₹ 4,26,72,500/- (कुल रूपये चार करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय किंवदन्ति के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल लागत धनराशि (लाख में)
1	गंगा नदी के दौँयें किनारे पर ग्राम भोजपुर के अपरस्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.85
2	गंगा नदी के दौँयें किनारे पर ग्राम भोजपुर के डाउन स्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.03
3	गंगा नदी के दौँयें किनारे पर ग्राम भोजपुर के पास कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.44
4	गंगा नदी के दौँयें किनारे पर ग्राम ढाईघाट के डाउन स्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	46.67
5	गंगा नदी के दौँयें किनारे पर ग्राम ढाईघाट के पास कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	46.40

6	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कासिमपुर तराई के डाउन स्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.85
7	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कासिमपुर तराई के पास कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	45.54
8	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ढाईघाट के अपस्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.17
9	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कासिमपुर तराई के पास परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	47.78
10	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम हरसिंहपुर के पास कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.85
11	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम हरसिंहपुर के डाउन स्ट्रीम में कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.17
12	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कमथरी के पास परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	47.50
13	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम लोधीपुर के अप स्ट्रीम में परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	47.50
14	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कासिमपुर तराई के अपस्ट्रीम में परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	47.23
15	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम लोधीपुर—कासिमपुर तराई के मध्य में परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	46.82
16	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम कमथरी—कासिमपुर तराई के मध्य में परकोपाइन रक्कीन डाईवर्जन बन्ध बनाने की परियोजना।	46.96
17	गंगा नदी के दौयें किनारे पर ग्राम लोधीपुर के पास कटान निरोधक कार्यों की परियोजना।	44.85
18	गंगा नदी के दौये किनारे पर ग्राम गंडुआ के निकट क्षतिग्रस्त परकोपाइन रक्कीन स्पर की मरम्मत / पुनरोद्धार की परियोजना।	34.42
19	गंगा नदी के दौये किनारे पर स्थित ग्राम सनौली—महमदीपुर एवं गंडुआ—अलीगढ़ के मध्य क्षतिग्रस्त परकोपाइन रक्कीन स्पर की मरम्मत / पुनरोद्धार की परियोजना।	40.42
	योग	853.45
	का 50 प्रतिशत	
	अर्थात् ₹0	
		426.725

- 2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय ” के नामे डाला जायेगा।
- 3- वाढ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन ही

व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा०-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-एनडीएम-१, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८, दिनांक 14-१०-२०११ के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-३१७/१-११-२०१३, दिनांक 21-०६-२०१३ को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक ०१-०३-२०१३ से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कृतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सुनुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का वर्तमय है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण भजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कियां जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोर्चक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-702(1)/१-१०-२०१४, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, ३०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, ३०प्र०।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, फर्रुखाबाद।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल।

१०८  
२६-८-१५

आज्ञा से,

(मदन मोहन)

अनु सचिव।